न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 84 / 2015 (उदयपुर डिक्री)

लखा उर्फ लखमा पिता उदा जी भील, निवासी एकलिंगपुरा, मजरा आम्बा का खादरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

1 / 1. नारायणलाल पिता स्वर्गीय श्री लखा उर्फ लखमा भील (गमेती), निवासी गांव एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1 / 2. खेमराज पिता स्वर्गीय श्री लखा उर्फ लखमा भील (गमेती), निवासी गांव एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

माधोलाल पिता शेरसिंह जी पंचोली, साकिन उदयपुर शहर, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0– 1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 03.09.2015, प्र.सं. 215 / 10

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) – श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

———:::———

निर्णय **दिनांक 02–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम एकलिंगपुरा में आराजी नंबर 1056 / 1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 3058 व 3059 किता 2 रकबा 0.1150 हैक्टर बने हैं, स्थित है। उक्त भूमि संवत् 2025 अर्थात सन् 1968 के पूर्व वादी के चाचा हेमा पिता टेका भील के कब्जे काश्त की थी, जिनके कोई औलाद नहीं होने से वह साधु बन गया तथा बीमार व वृद्ध होने से हेमा ने

अपने हिस्से की कृषि भूमि व मकान तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति वादी को सुपुर्द कर वसीयत वादी के पक्ष में 2025 बेसाख शुदी तीज को निष्पादित कर दी, तब से वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि संवत् 2016 से आज तक अर्थात संवत् 2067 से प्रतिवादी माधोलाल के नाम दर्ज चली आ रही है, जबकि प्रतिवादी का विगत 42 वर्षो में कभी कब्जा नहीं रहा है एवं कब्जा निरन्तर वादी का चला आ रहा है। प्रतिवादी अथवा उनके वारिसान द्वारा 1968 से 1980 तक की 12 वर्ष की अवधि में किसी प्रकार का उजर नहीं किये जाने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादी खातेदार हो चुका है। अतएवं वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलाया जावे।

वादी के आवेदन पर मौके की रिपोर्ट भी तलब की गयी, जिसमें खातेदार प्रतिवादी दर्ज होना तथा कब्जा किसका है, इस बाबत् कोई उल्लेख नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा वादी की ओर से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को सुनने के बाद पेश शुदा रेकार्ड का विश्लेषण कर अपने निर्णय दिनांक 03–09–2015 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–10–2015 को पेश की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किये जाने के बावजूद सूचना रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों का सही विश्लेषण नहीं किया गया है। भूमि पर अपीलान्ट के चाचा हेमा पिता टेका का संवत् 2020 से अर्थात 1963 के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है, जो लाऔलाद थे एवं साधु होने से अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत संवत् 2025 अर्थात सन् 1068 में लिख दी तब से अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि संवत् 2016 में रेस्पोन्डेन्ट माधूलाल के नाम दर्ज हो गयी, किन्तु कब्जा अपीलान्ट का ही

चला आ रहा है, जिसे 50 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये उनसे वादी/अपीलान्ट का कब्जा होना स्पष्ट है, जिसका किसी प्रकार का कोई खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है। अपीलान्ट का कब्जा 55 वर्षो से अधिक समय का हो जाने से धारा 63 (1) (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार हो चुका है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रदर्श 7 खसरा गिरदावरी संवत् 2020 में हेमा वल्द टेका का कब्जा दर्ज है तथा इसी प्रकार प्रदर्श 10 खसरा गिरदावरी संवत् 2032 में अपीलान्ट का कब्जा दर्ज है। अपीलान्ट की चाह से विवादित आराजी सिंचित होने से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर अधिकार नहीं माना जा सकता।

जहां तक हेमा पिता टेका का प्रश्न है, वह स्पष्टया काबिज है, परन्तु जिस समय व काबिज है, उस समय भी विवादित भूमि के खातेदार प्रतिवादी दर्ज है। अपीलान्ट का नाम भी सिर्फ एक खसरा गिरदावरी में दर्ज है, उसके बाद उसका कब्जा है अथवा नहीं, यह अत्यन्त गौड़ है, क्योंकि अपीलान्ट दीर्घकान कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहता है, जिसके लिए वांछित तथ्य प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में उपलब्ध नहीं हैं, जो कि शान्ति पूर्वक, निरन्तर, वास्तविक मालिक की जानकारी में, इरादे के साथ किये गये प्रतिकूल कब्जे से संबंधित होता है, जो इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया उपलब्ध नहीं है तथा इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14–06–2017 आर.आर.डी. पेज 353 एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं। अपीलान्ट या उसके पूर्वाधिकारी चाचा हेमा का कुछ खसरा गिवदावरियों में कब्जा होना Stray रूप से वर्णित है, परन्तु उक्त कब्जे अथवा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये नवीनतम निर्णयों के आधार पर काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर

खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादी का वाद जो खारिज किया है, उसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

लखा उर्फ लखमा मृतक के बजाय नारायणलाल पुत्र लखा उर्फ लखमा भील (गमेती), नि0 गांव एकलिंगपुरा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **माधोलाल पिता शेरसिंह जी पंचोली, साकिन उदयपुर, जिला उदयपुर।**

अपील नं.....**84 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**09**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**02**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....
व हाजरी.....**श्री मन्नाराम डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**02**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।